सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

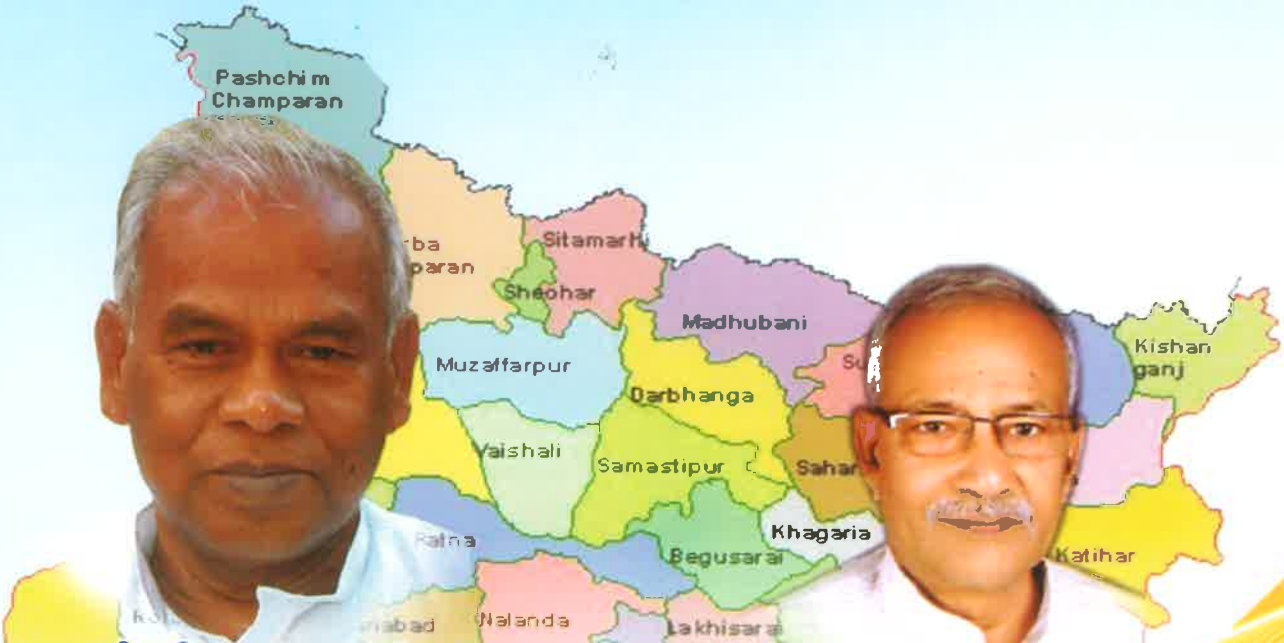

श्री जीतन राम मांझी
मुख्यमंत्री, बिहार

श्री नरेन्द्र नारायण यादव
मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार

वार्षिक प्रतिवेदन

2013 - 2014

सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन – 2013-14

कार्य योजना – 2014-15

विषय - सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	संदेश	5
2	प्रस्तावना	7–8
3	प्रशासनिक ढाँचा	10–13
4	2014–15 का प्रस्तावित बजट उपबंध।	14
5	कल्याणकारी योजनाएँ	15–38

नरेन्द्र नारायण यादव
मंत्री
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार सरकार

बिहार सरकार

दूरभाष सं० : 0612 2217355 (का०+फैक्स)
2222988 (आ०)
मोबाईल सं० : 919430829401
10, दारोगा प्र० राय पथ, पटना - 800 001

संदेश

राज्य सरकार भूमि प्रबंधन की पारदर्शी एवं सक्रिय व्यवस्था, भू–अभिलेखों का अद्यतीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण, भूमि विवादों के त्वरित निष्पादन, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उपेक्षित वर्गों के सदस्यों को आवास एवं बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के सफल क्रियान्वयन हेतु कृत संकल्प है।

भूमि विवादों के निष्पादन हेतु बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं के न्यायालय सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। पारित आदेशों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्रावधान किया गया है। साथ ही बिहार भूमि न्यायाधिकरण दिनांक–16.10.2012 से क्रियाशील है।

महादलित विकास योजना के अन्तर्गत वासभूमि रहित महादलित परिवारों को प्रति परिवार 03 डिसमिल वासभूमि उपलब्ध करायी जा रही है। सर्वेक्षण कराकर पूर्व में सम्मिलित नहीं हुए एवं व्यस्क होकर पृथक परिवार के रूप में स्थापित हुये वासभूमि रहित महादलित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध करायी जा रही है। इसके साथ–साथ अन्य अनुसूचित जातियों, जन जातियों एवं पिछड़े वर्ग अनुसूची–I एवं अनुसूची–II के वासभूमि रहित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने हेतु सरकारी भूमि की बन्दोबस्ती कर एवं बी०पी०पी०एच्०टी० पर्चा द्वारा भूमि उपलब्ध करायी जा रही है। भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराने की योजना भी चलायी जा रही है।

भू–अभिलेखों का अद्यतीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण हेतु आधुनिक तकनीक से विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रचालनों को प्रारम्भ कर दिया गया है। राज्य के 12 जिलों में चालू खतियान कम्प्यूटरीकृत कर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। राज्य में भू–अभिलेखों एवं राजस्व मानचित्रों के रखरखाव के लिए प्रत्येक अंचल में डाटा केन्द्र–सह– आधुनिक अभिलेखागार के भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। अबतक 133 अंचलों में इनका निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

मुझे विश्वास है कि सरकार द्वारा भूमि सुधार के पारदर्शी एवं सक्रिय प्रबंधन की दिशा में उठाये गये लोक उपयोगी कदम से बिहार की जनता निश्चित रूप से लाभान्वित होगी। विभाग द्वारा उठाये गये जन उपयोगी कार्यों के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य की जनता का सक्रिय सहयोग एवं भागीदारी अपेक्षित है।

नरेन्द्र ना. यादव

(नरेन्द्र नारायण यादव)

प्रस्तावना

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन में विभाग के स्तर से क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जा रहा है।

वासभूमि रहित महादलित परिवारों को गृह स्थल उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना इस विभाग में चलायी जा रही है। भूमि की व्यवस्था कुल–4 स्त्रेतों से की जा रही है जिसमें अबतक कुल 2,21,144 परिवार को 6694.40 एकड़ भूमि वितरित की गयी हैं। घटकरवार स्थिति निम्नवत है :–

(क) गैर मजरूआ मालिक / खास भूमि स्त्रेत से अबतक कुल–80068 महादलित परिवारों के साथ 2642.78 एकड़ भूमि बन्दोबस्ती की गयी है।

(ख) गैर मजरूआ आम भूमि स्रोत से 43106 महादलित परिवारों के साथ 1161.52 एकड़ भूमि की बन्दोबस्ती की जा चुकी है।

(ग) बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासगीत अधिनियम, 1947 के तहत प्रश्रय प्राप्त 57336 महादलित परिवारों को 1673.85 एकड़ भूमि का पर्चा निर्गत किया जा चुका है।

(घ) जहाँ कही उपर्युक्त भूमि स्रोत उपलब्ध नहीं है, वहाँ रैयती भूमि क्रय की जा रही है। इस स्रोत से 40636 महादलित परिवारों के बीच 1216.27 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

सर्वेक्षण के क्रम में किसी कारण सम्मिलित नहीं हुये अथवा सर्वेक्षण के उपरान्त वयस्क होकर पृथक परिवार बन चुके वासभूमि रहित महादलित परिवारों का पुनर्सर्वेक्षण कराकर वासभूमि उपलब्ध करायी जा रही है।

इसके साथ–साथ अन्य अनुसूचित जातियों, जन जातियों एवं पिछड़े वर्ग अनुसूची–I एवं अनुसूची–II के वासभूमि रहित परिवारों को वासभूमि हेतु सरकारी / बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 पर्चा द्वारा भूमि उपलब्ध करायी जा रही है। भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में रैयती भूमि क्रय कर वास भूमि उपलब्ध कराने की योजना भी चलायी जा रही है।

राज्य के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, नालंदा, शेखपुरा, अरवल, बेगूसराय, जमुई, जहानाबाद, लखीसराय, वैशाली, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णियाँ, सुपौल एवं पटना जिलों के राजस्व मानचित्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष जिलों के राजस्व मानचित्रों का डिजिटाइजेशन चार एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में भोजपुर, पटना, नालंदा, बक्सर एवं कैमूर जिलों के सदर अंचल से राजस्व मानचित्रों की ऑनलाइन आपूर्ति प्रारम्भ हैं शेष सभी जिलों के सदर अंचल की यह सुविधा दिसम्बर, 2014 के अंत तक प्रारंभ हो जायेगी।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बदोबस्त अधिनियम, 2011 के अंतर्गत आधुनिक तकनीक से सर्वे मानचित्रों के निर्माण हेतु हवाई फोटोग्राफी का कार्य 13 जिलों में पूरा कर लिया गया है। शेष जिलों में

आधुनिक तकनीक से सर्वे/री–सर्वे कार्य हेतु तीन अतिरिक्त एजेंसियों का चयन कर कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है।

भू–अभिलेखों के कम्प्यूटीकरण योजनान्तर्गत राज्य के 12 जिलों में चालू खतियान कम्प्यूटीकृत कर विभागीय वेवासइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। भू–अभिलेखों एवं राजस्व मानचित्रों के समुचित रखरखाव हेतु प्रत्येक अंचल में डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार के भवन निर्माण हेतु कुल राशि 227.75 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत की जा रही है। अबतक 133 अंचलों में इनका निर्माण भी कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में दाखिल खारिज के कुल–1711482 मामलों का निष्पादन किया गया है। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल–5,53,282 भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। उक्त दोनों विषय बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम में समाविष्ट है।

राज्य में भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत भूमि सुधार उप समाहत्ताओं के न्यायालय द्वारा भूमि विवादों का निपटारा किया जा रहा है। अबतक उनके द्वारा 34746 वादों का निपटारा किया जा चुका है। साथ ही भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं के कार्यालय में आधारभूत संरचनाओं एवं मानव संसाधन के साथ सुदृढ़ किया जा रहा है। भूमि से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु बिहार भूमि न्यायाधिकरण दिनांक–16.10.2012 से सक्रिय हो चुका है। साथ ही अब सरकारी भूमि के घेराबन्दी पर भी कार्य किया जा रहा है। इसमें काफी पूंजी लगने की संभावना है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से इसपर कार्य किया जा रहा है।

हुकुम सिंह मीणा
सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार राज्य एक नजर में

1.	प्रमंडलों की संख्या	—	9
2.	जिलों की संख्या	—	38
3.	अनुमंडलों की संख्या	—	101
4.	अंचलो की संख्या	—	534
5.	हल्का की संख्या	—	8463
6.	राजस्व ग्रामों की संख्या	—	45530

प्रशासनिक ढाँचा

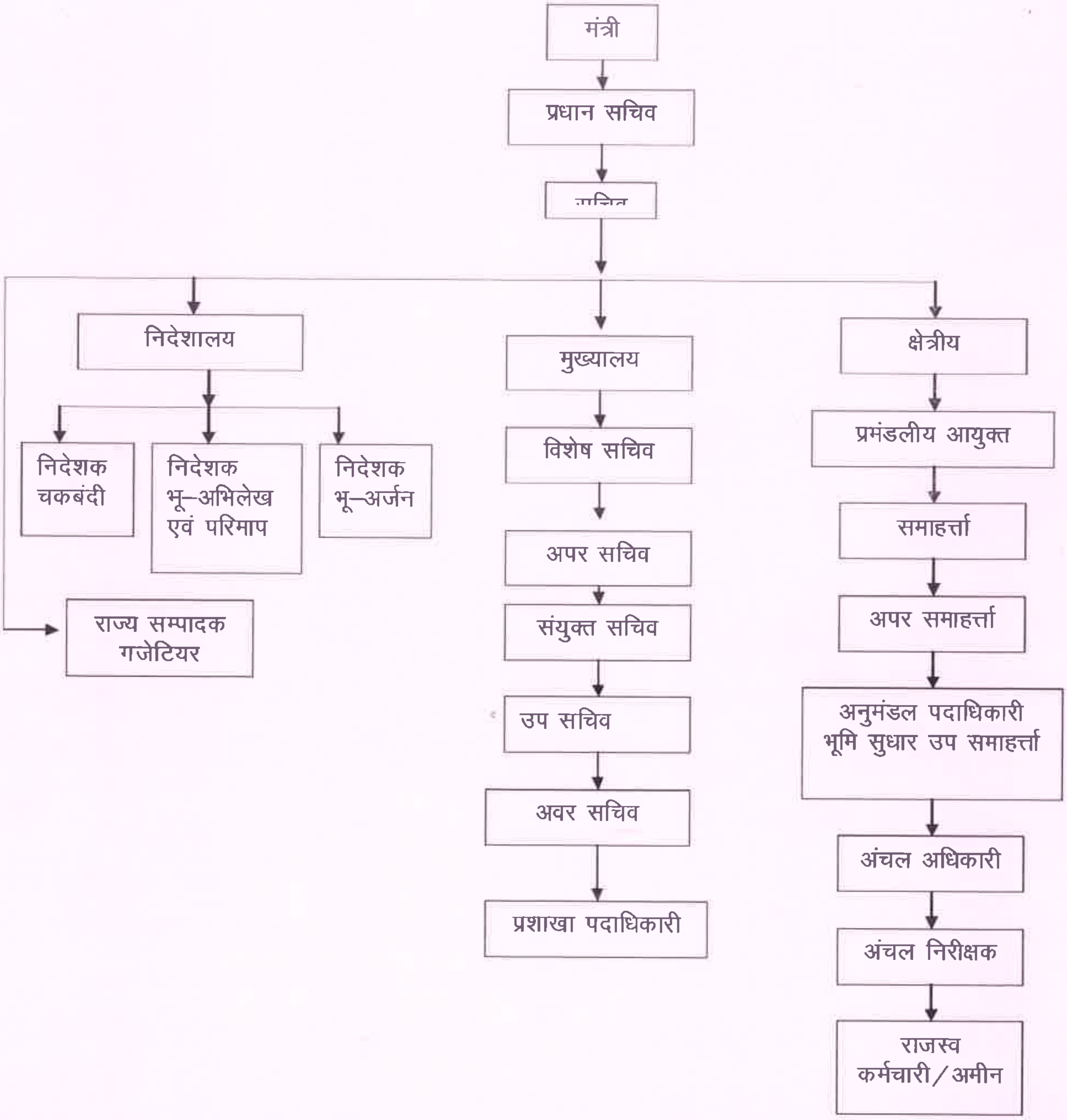
मंत्री
प्रधान सचिव
निदेशालय
मुख्यालय
क्षेत्रीय
निदेशक चकबंदी
निदेशक भू–अभिलेख एवं परिमाप
निदेशक भू–अर्जन
राज्य सम्पादक गजेटियर
विशेष सचिव
अपर सचिव
संयुक्त सचिव
उप सचिव
अवर सचिव
प्रशाखा पदाधिकारी
प्रमंडलीय आयुक्त
समाहर्त्ता
अपर समाहर्त्ता
अनुमंडल पदाधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
अंचल अधिकारी
अंचल निरीक्षक
राजस्व कर्मचारी/अमीन

भू–अभिलेख एवं परिमाप,
निदेशालय के नियंत्रणाधीन कार्यालय

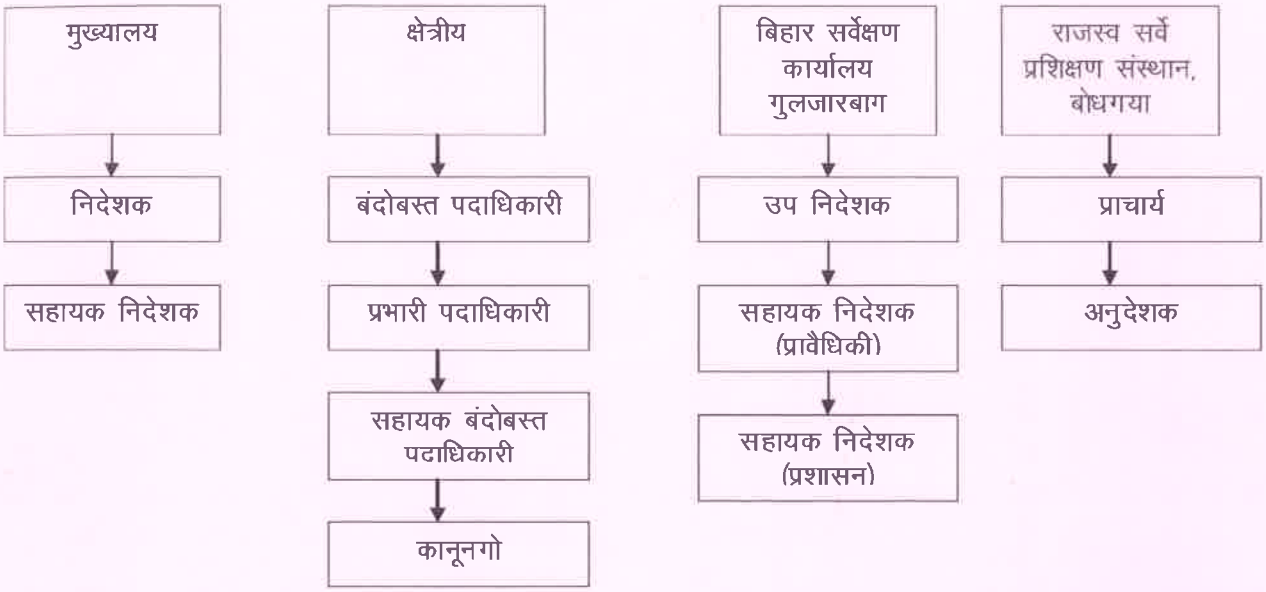

चकबंदी निदेशालय

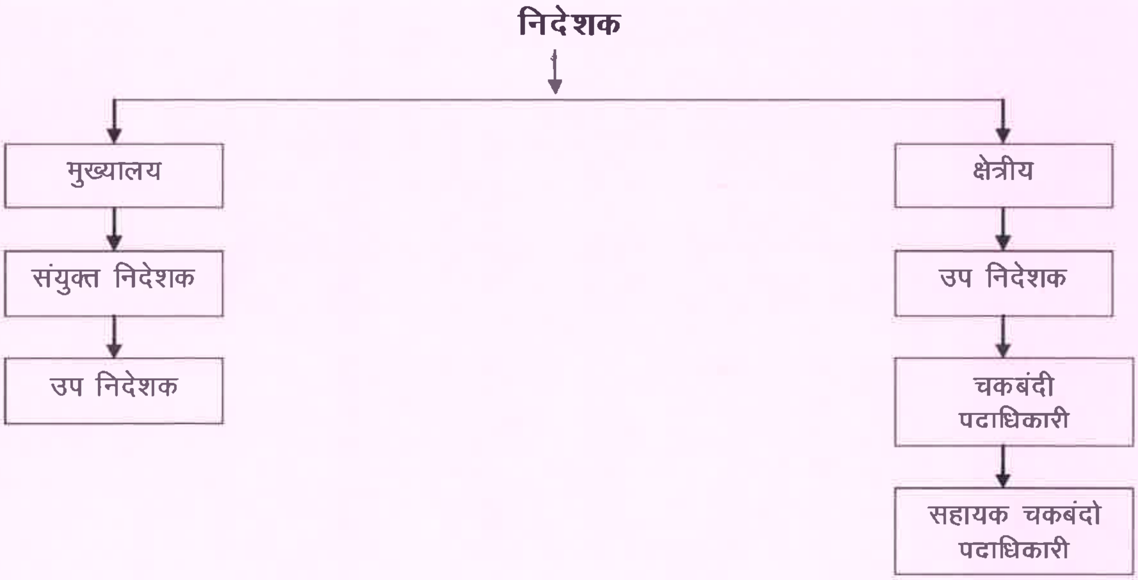

स्वीकृत पद / रिक्ति

(क्षेत्रीय स्थापना)

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति
1	भूमि सुधार आयुक्त–सह–प्रधान सचिव	1	1	0
2	निदेशक, चकबंदी	1	1	0
3	निदेशक, भू–अर्जन	1	1	0
4	निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप	1	1	0
5	राज्य सम्पादक, गजेटियर	1	0	1
6	अपर सचिव/विशेष सचिव	1	1	0
7	संयुक्त सचिव	2	0	2
8	उप सचिव (बि0प्र0से0)	1	1	0
9	उप सचिव (सचिवालय सम्वर्ग)	1	0	1
10	अवर सचिव (बि0प्र0से0)	5	1	4
11	प्रशाखा पदाधिकारी	20	13	7
12	सहायक	86	66	20
13	प्रधान आप्त सचिव	1	0	1
14	आप्त सचिव	2+3	2	3
15	निजी सहायक	7	2	5
16	आशुलिपिक	10+6	1	9+6

स्वीकृत पद / रिक्ति

(क्षेत्रीय स्थापना)

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति
1	अपर समाहर्त्ता	38	38	0
2	भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता	101	98	03
3	अंचलाधिकारी	534	534	0
4	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी	38	14	24
5	सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी	60	64	0
6	अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड	800	373	427
7	राजस्व कर्मचारी	8463	4110	4353
8	अमीन (जिला स्तरीय)	688	281	407
9	अमीन (चकबन्दी)	368	71	297

वित्तीय वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत योजना मद में बजट उपबंध

क्र0	योजना का नाम	उद्व्यय (रू0 लाख में)
1.	भू–अभिलेख का अद्यतीकरण	7600
2.	जोतों की चकबंदी	1600.00
3	भूमि सुधार उप समाहत्ताओं के न्यायालय कक्ष/कार्यालय निर्माण की योजना	500
4.	कार्यालय विस्तार, आधारभूत संरचना, विकासात्मक एवं कल्याणकारी लोक प्रयोजन के लिए सभी जिला मुख्यालयों/अनुमंडल मुख्यालयों/प्रखण्ड मुख्यालयों में भूमि बैंक योजना	100
5.	सरकारी भूमि की घेरा बंदी	500
6.	विभागीय मुख्यालय कार्यालय/ प्रकोष्ट का आधुनिकीकरण के मद में	200
7.	क्षमता वर्द्धन मद में	50
8.	टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत गृह विहीनों के लिए वास भूमि	130.77
9.	बिहार गृह स्थल क्रय नीति–2011 के अन्तर्गत सुयोग्य श्रेणी के गृह विहिनों परिवारों के लिए गृह निर्माण हेतु	334.27
10	सम्पर्क सड़क	100
11	महादलित विकास योजना	1961.48
	कुल योग	**13076.52**

विभागन्तर्गत महत्त्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति

1. महादलित विकास योजना :–

महादलित विकास योजना के अन्तर्गत वासभूमि रहित महादलित परिवारों को प्रति परिवार 03 डिसमिल वास भूमि उपलब्ध कराने की योजना वित्तीय वर्ष 2009–10 से राज्य में लागू है।

इस योजना के अन्तर्गत सर्वप्रथम वासभूमि रहित महादलित परिवारों को गैरमजरूआ मालिक/खास, गैरमजरूआ आम तथा बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत बन्दोबस्ती द्वारा वासभूमि उपलब्ध कराया जाना है। जिन वासभूमि रहित परिवारों को उपर्युक्त श्रेणी के भूमि से आच्छादित नहीं किया जा सकता है, उन्हें रैयती भूमि की क्रय नीति के तहत 20000/– रूपए की वित्तीय अधिसीमा के अधीन प्रति परिवार 03 डिसमिल रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराये जाने का उपबंध है। अब यह अधिसीमा न्यूनतम बाजार दर कर दी गयी है। सभी योजनाओं से अबतक कुल 2,21,144 परिवारों को कुल 6694.40 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी गयी है।

इस योजना के तहत अबतक कुल–80066 वासरहित महादलित परिवारों को गैरमजरूआ मालिक/खास भूमि की बन्दोबस्ती से लाभान्वित किया गया है, जिसमें सन्निहित रकबा 2642.76 एकड़ है। इसी प्रकार 43106 वासरहित महादलित परिवार को गैरमजरूआ आम भूमि के बन्दोबस्ती द्वारा वासभूमि उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सन्निहित रकबा 1161.52 एकड़ है। अब गैर मजरूआ आम भूमि 03 डिसमल महादलित परिवारों से बन्दोवस्त करने की शक्ति प्रमंडलीय आयुक्त को प्रत्यायोजित कर दी गयी है। बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत कुल–57336 महादलित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सन्निहित रकबा 1673.85 एकड़ है।

रैयती भूमि की क्रय नीति, 2010 के अन्तर्गत रैयती भूमि के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में 1961.48/– लाख रूपए का बजट उपबन्ध है। यह राशि सभी जिलों को अवशेष महादलित परिवार की संख्या के आलोक में आबंटित की जायेगी। इस मद में अबतक कुल–40636 वासरहित महादलित परिवारों को 03 डिसमिल प्रति परिवार के दर से रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि उपलब्ध कराई गई है। इसमें कुल सन्निहित रकबा 1216.27 एकड़ भूमि है।

सभी स्त्रोतों से वासरहित महादलित परिवारों को उपलब्ध करायी गयी वासभूमि से संबंधित विवरणी :–

जमीन का स्वरूप (स्त्रोत)	लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि		उपलब्धि का प्रतिशत
		परिवारों की संख्या	बन्दोबस्त भूमि का रकबा (एकड़ में)	
गैरमजरूआ मालिक भूमि	78311	80066	2642.76	102.24
गैरमजरूआ आम भूमि	47115	43106	1161.52	91.49
वासगीत पर्चा	52737	57336	1673.85	108.72
क्रयनीति के अन्तर्गत	68660	40636	1216.27	59.18
कुल	**246823**	**221144**	**6694.40**	**89.60**

2. **सर्वेक्षण (द्वितीय चरण का सर्वेक्षण)** :–

महादलित योजनान्तर्गत प्रथम चरण के सर्वेक्षण के दौरान जो परिवार किसी कारणवश छूट गए थे, अथवा इस दौरान व्यस्क होकर पृथक परिवार के रूप में स्थापित हो गए हैं, का पुनसर्वेक्षण (द्वितीय चरण का सर्वेक्षण) कराया गया है। इस प्रकार महादलित विकास योजनान्तर्गत दो चरणों (प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण) के सर्वेक्षण के उपरान्त कुल लक्ष्य 246823 वासरहित परिवारों के लक्ष्य के विरूद्ध वर्ष 2013–14 के चारों श्रोतों से कुल 2,21,144 वासरहित महादलित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध करायी गयी है। शेष 25679 वासरहित महादलित परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने हेतु उक्त योजना में दो वर्षों की वृद्धि की गयी है। भूमि के मूल्य में वृद्धि हो जाने की स्थिति में 20000 रू0 में 3 डिसमल जमीन मिलने में कठिनाई के कारण सरकार द्वारा **MVR पर भूमि क्रय कर वासरहित महादलित परिवारों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।**

प्रथम एवं द्वितीय चरण सर्वेक्षण के अनुसार कुल 25679 वासरहित महादलित परिवार हैं, जिन्हें इस योजना के तहत वासभूमि उपलब्ध कराया जाना है।

3. गृह–स्थल योजना :–

राज्य में सुयोग्य श्रेणी यथा अनुसूचित जाति (महादलित को छोड़कर), अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एनेक्सर–I तथा एनेक्सर–II के वैसे परिवार जिन्हें वासभूमि उपलब्ध नहीं है तथा जिन्हें सरकारी भूमि अथवा बी0 पी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत पर्चा द्वारा वासभूमि उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है, के लिए 20000.00 रूपए की अधीसीमा पर प्रति परिवार 03 डिसमिल रैयती भूमि क्रय कर वासभूमि उपलब्ध करायी जाती है।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में 180.00 लाख रूपए का आवंटन राज्य के जिलों को उपलब्ध कराया गया है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजनान्तर्गत 334.27 लाख रूपये का बजट उपबन्ध हुआ है जिससे सुयोग्य श्रेणी यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अनुसूची –I एवं अनुसूची–II के वासरहित परिवारों को वास हेतु 03 डिसमल भूमि उपलब्ध करायी जायगी। इस नीति के तहत भूमि का क्रय न्यूनतम प्राक्कलित राशि (MVR) के आधार पर रैयती भूमि क्रय के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति दी गई है। उक्त योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण का भी प्रावधान किया गया है। जिसके लिए राशि कर्णांकित की गई है।

गृहस्थल योजनान्तर्गत उपलब्धि वित्तीय वर्ष 2013–14

वित्तीय वर्ष 2013–14 में जिलों को आवंटित राशि (लाख रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2013–14 में अबतक व्यय की गई राशि (लाख रूपये में)	भौतिक उपलब्धि	
		लाभान्वित परिवारों की संख्या	रकबा (एकड़ में)
180.80	139.85	978	40.56

नोट : व्यय राशि गृह–स्थल एवं सम्पर्क सड़क दोनों योजनाओं से संबंधित है।

4. सम्पर्क सड़क योजना

सम्पर्क सड़क योजनान्तर्गत राज्य में वैसे ग्राम/टोले/मोहल्ले जिनका सम्पर्क मुख्य सड़क से नहीं है, को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु रैयती भूमि के अर्जन के लिए जिलों को वित्तीय वर्ष 2013–14 में 319.20 लाख रूपए आवंटित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अबतक 112 योजनाएँ पूर्ण करते हुए 125 ग्राम/टोले/मोहल्ले को सम्पर्क सड़क से जोड़ा गया है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल 100.00 लाख रूपये का बजट उपबन्ध किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में सम्पर्क सड़क योजनान्तर्गत उपलब्धि

वित्तीय वर्ष 2013–14 में जिलों को आवंटित राशि (लाख रूपये में)	वित्तीय वर्ष 2013–14 में व्यय की गई राशि (लाख रूपये में)	इस योजना के तहत प्रारम्भ से अबतक पूर्ण हो गयी योजनाएँ	ग्राम/टोले/मोहल्ले की संख्या जिन्हें सम्पर्क सड़क से जोड़ा गया
319.20 लाख	139.85	112	125

नोट : व्यय राशि गृह–स्थल एवं सम्पर्क सड़क दोनों योजनाओं से संबंधित है।

उपर्युक्त उल्लिखित गृह स्थल एवं सम्पर्क सड़क योजनान्तर्गत 2013–14 में कुल 500.00 लाख रूपये स्वीकृत किये गये, जिसके विरूद्ध कुल 139.85 लाख रूपये व्यय किया गया। विगत वर्ष 4.42 एकड़ भूमि का अर्जन किया गया है।

5. सम्पर्क सड़क (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक) योजना

4. सम्पर्क सड़क (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक) योजनान्तर्गत राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए गृहस्थल हेतु रैयती भूमि के क्रय एवं अनुसूचित जाति के ग्रामों/टोलों/मोहल्लों को सम्पर्क सड़क से जोड़ने के लिए रैयती भूमि के अर्जन दोनों योजना में सम्मिलित हैं। इस योजना के अन्तर्गत राज्य में वित्तीय वर्ष 2013–14 में 100.00 लाख रूपए का बजट उपबन्ध के विरूद्ध 5.53 लाख रूपये व्यय किये गये। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में ट्राइवल सब प्लान (टी०एस०पी०) योजनान्तर्गत 130.77 लाख रूपये का बजट उपबन्ध है।

5. बिहार भूमि न्यायाधिकरण दिनांक–16.10.2012 से 11 ऑफ पोलो रोड़, पटना स्थित सरकारी भवन में क्रियाशील है।

6. नये अधिनियम/नियमावली/नीति

1. बिहार भूमि दाखिल–खारिज नियमावली, 2012
2. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012
3. बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 2012
4. बिहार लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) अधिनियम, 2012
5. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) अधिनियम, 2012
6. बिहार भूमि दाखिल–खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2012
7. बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्त्तन) (संशोधन) अधिनियम, 2012
8. बिहार राज्य मेला प्राधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012
9. बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 2013
10. बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा–9 की उप धारा–(1) में उल्लिखित अधिनियम/हस्तकों की सूची में संशोधन।
11. सरकारी भूमि के अंतर्विभागीय, निःशुल्क एवं स्थायी हस्तातरण करने की शक्ति का प्रत्यायोजन करने के संबंध में।

7. बिहार भूमि न्यायाधिकरण के गठन एवं उपलब्धियों से सम्बन्धित विवरण –

बिहार भूमि न्यायाधिकरण का गठन बिहार भूमि न्यायाधिकरण अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम–09, 2009) की धारा–4 (1) के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या–8/विविध (पद सृजन)–24–06/11–298 (8)/रा० दिनांक–02.04.2012 के द्वारा दिनांक–10.01.2012 के प्रभाव से निम्नलिखित को मिलाकर किया गया है :–

क. अध्यक्ष 1 (एक)

ख. प्रशासनिक पक्ष से सदस्य 2 (दो)

ग. न्यायिक पक्ष से सदस्य 2 (दो)

2. बिहार भूमि न्यायाधिकरण दिनांक–16.10.2012 से कार्यशील हुआ।

3. बिहार भूमि न्यायाधिकरण द्वारा निष्पादित वादों का विवरण –

क्र०	वर्ष	दायर वादों की संख्या	निष्पादित वादों की संख्या
1	2012	23	19
2	2013	1009	412
3	2014 (अद्यतन)	448 (अद्यतन)	56 (अद्यतन)
कुल		**1480**	**487**

(नोट– उपर्युक्त दायर वादों की संख्या एवं निष्पादित वादों की संख्या पटना उच्च न्यायालय, पटना से हस्तांतरित होकर प्राप्त 289 वाद भी शामिल है)।

8. ऊर्जा क्षेत्र की परियाजनाओं पर त्वरित कार्यान्वयन के सरकारी भूमि के हस्तांतरण एवं भू–अर्जन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इस क्रम में वित्तीय वर्ष 2013–14 में ऊर्जा विभाग को 163.5976 एकड़ भूमि हस्तांतरण हुई है इस प्रकार विभिन्न थर्मल परियोजनाओं एवं पावर ग्रीड को 500.862 एकड़ भूमि अधिग्रहण कर ली गयी है। इसके अतिरिक्त रेलवे को 109 एकड़, पुल एवं उपगम पथ को 739.69 एकड़, आई0टी0बी0पी.0 के लिए 123.42 एकड़, सुपौल एवं अररिया मुख्यालय हेतु 187.97 एकड़, कला एवं सस्कृति एवं बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप वैशाली को 131.4 एकड़ भूमि अधिग्रहण कर उपलब्ध करायी गयी है।

सरकारी भूमि के अन्तर्ग विभागीय हस्तांतरण में आ रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए समाहर्त्ताओं एवं प्रमंडलीय आयुक्तों को उक्त भूमि हस्तांतरण की शक्ति निम्नवत प्रायोजित कर दी गयी है :–

1. समाहर्त्ता– 3 एकड़ तक
2. प्रमण्डलीय आयुक्त– 3 एकड़ से 5 एकड़ तक
3. 5 एकड़ से अधिक पूर्ववत विभाग के द्वारा होगा।

8. (a) सरकारी भूमि का हस्तांतरण :–

वित्तीय वर्ष 2013–14 में हस्तान्तरित / बन्दोबस्त सरकारी भूमि की विवरणी

क्र0 सं0	मौजा / अंचल	जिला	भूमि ह० का उद्देश्य	रकवा (एकड़ में)	विभाग / उपक्रम जिन्हें भूमि हस्तांतरित की गयी
1	2	3	4	5	6
1	किनारी टोला	जहानाबाद	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	1.00	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0
2	दीघा	पटना	विस्थापित 205 परिवारों को बसाने हेतु	6.15	205 विस्थापित परिवार
3	सुरमार	समस्तीपुर	समग्र मत्स्की विभाग योजना हेतु	0.75	पशु एवं मत्स्य संसाधन
4	अंधारबन	मधुबनी	एस0एस0 बी0 कैम्प हेतु	3.00	गृह मंत्रालय, भारत सरकार
5	भरथुआ	मुजफ्फरपुर	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	1.20	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0
6	भोरसण्डी	मुजफ्फरपुर	सैस डैक के निमार्ण हेतु	40.27	कांटी बिजली उत्पादन निगम लि0, मुजफ्फरपुर
7	सेन्दुआरी गजसिंह	मुजफ्फरपुर	कंटी विद्युत निगम हेतु	0.06	कांटी बिजली उत्पादन निगम लि0, मुजफ्फरपुर
8	वंशगोपालपुर	नालंदा	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.15	स्वास्थय विभाग
9	दहिबर	बक्सर	सामुदायिक भवन हेतु	0.08	पंचायती राज विभाग
10	करियन्ना	नालंदा	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.35	स्वास्थय विभाग
11	विशम्थरकर एलौथ	समस्तीपुर	कर्पूरी ठाकुर छात्रावास हेतु	0.55	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
12	अमोरजा	भोजपुर	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.41	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0
13	धीराचक	पटना	वित्त सेवा गृह निर्माण समिति को गृह निमार्ण हेतु	11.86	वित्त सेवा गृह निर्माण समिति
14	बरहोग	नालंदा	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.06	स्वास्थ्य विभाग
15	केसठ	बक्सर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.30	स्वास्थ्य विभाग
16	रामपुर	बक्सर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.08	स्वास्थ्य विभाग
17	अन्दरकिला	मुंगेर	योग विद्यालय हेतु	2.48	स्कूल ऑफ योग मुंगेर
18	ममरेजपुर	पटना	पथ निर्माण हेतु	0.09	पथ निर्माण विभाग
19	पैनापुर	पटना	पथ निर्माण हेतु	0.60	पथ निर्माण विभाग
20	कुशी	औरंगाबाद	अनु0जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय हेतु	4.35	अनु0जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग

21	नराटीकला	औरंगाबाद	पावर गृह हेतु	6.00	नवीनगर पावर जेनोंटिग कम्पनी
22	मकनपुर	नालंदा	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.13	स्वास्थ्य विभाग
23	स्किरौल	बक्सर	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	2.07	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0
24	भंगराव	बक्सर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.08	स्वास्थ्य विभाग
25	बाला विगहा	नालंदा	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.50	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0
26	कारीसाथ	भोजपुर	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.50	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0
27	परशुराय	नालंदा	खाद्य निगम का गोदान हेतु	0.35	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षपण विभाग
28	भीखाबंध एवं डुमराव	बक्सर	कृषि महाविद्यालय हेतु	100.00	कृषि विभाग
29	जयनगर	लखीसराय	प्राथमिक विद्यालय हेतु	0.24	शिक्षा विभाग
30	पैनाल	पटना	पथ निर्माण	0.26	पथ निर्माण विभाग
31	बुधैल	नवादा	कर्पूरी ठाकुर अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेतु	1.00	अति पिछड़ा कल्याण विभाग
32	जानी बिगहा	गया	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.14	स्वास्थ्य विभाग
33	बरियारपुर	लखीसराय	विद्युत तापगृह हेतु	26.4025	आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार
34	महारथपुर	लखीसराय	विद्यत तापगृह हेतु	6.775	आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार
35	विशुनपुरथान	लखीसराय	विद्यत तापगृह हेतु	5.14	आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार
36	मधुबनी	प0चम्पारण	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.50	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0
37	गंगापुर	बक्सर	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.10	स्वास्थ्य विभाग
38	परोही	मुजफ्फरपुर	प्राथमिक विद्यालय परोही हेतु	0.40	शिक्षा विभाग
39	करमौला	पूर्वी चम्पारण	प्राथमिक विद्यालय हेतु	0.07	शिक्षा विभाग
40	गहिरी	प0चम्पारण	पशु चिकित्सालय हेतु	0.20	पशु एवं मत्स्य संसाधन
41	लक्ष्मीपुर	भागलपुर	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.50	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0
42	राको	खगड़िया	कर्पूरी ठाकुर छात्रावास हेतु	1.00	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
43	पैनाल	पटना	पथ निर्माण हेतु	0.22	पथ निर्माण विभाग

44	खड़सरा	कैमूर	भूमि हीन परिवार हेतु	0.20	16 भूमि हीन परिवारों के बसावट हेतु
45	बराह	नालंदा	सुयोग्य श्रेणी के भूमि हीनों हेतु	0.01	16 भूमिहीन परिवारों के बसावट हेतु
46	भितहाँ	प0चम्पारण	विद्युत उपकेन्द्र	0.97	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0
47	डड़वा	कैमूर	अगिनशामालय हेतु	0.36	गृह विभाग
48	मुहर्रमपुर	पटना	अंजुमन इस्लामिया के विस्तार हेतु	0.517	सुन्नी वक्फ बोर्ड
49	हरनाटाँड	प0चम्पारण	सौर ऊर्जा निजी जलापूर्त्ति हेतु	0.05	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
50	बंधपा	रोहतास	सुयोग्य भूमिहीन बसाने हेतु	0.01	भूमिहीन परिवार को बसाने हेतु
51	बाजितपुर	पटना	पथ निमार्ण हेतु	1.3275	पथ निर्माण विभाग
52	खड़हरा	बांका	रेल लाईन हेतु	0.35	रेल मंत्रायल भारत सरकार
53	अमहारा	पटना	औद्योगिक पार्क हेतु	0.40	उद्योग विभाग
54	केवड़ा	पटना	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.61	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0
55	गुठनी	सिवान	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.4976	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0
56	कोटवा	पूर्वी चम्पारण	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.50	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिं0
57	ठकराहा	प0चम्पारण	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	2.28	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0
58	आसनपुर कुल्हा	सुपौल	एस0 एस0 बी0 कैम्प हेतु	110.23	गृहमंत्रालय, भारत सरकार
59	बाजितपुर	पटना	उच्चपथ निर्माण हेतु	0.63	पथनिर्माण विभाग
60	थरथरी	नालंदा	गोदाम निर्माण हेतु	0.35	खाद्य एवं उपभोग्ता संरक्षण
61	एकसारा	नालंदा	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.52	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0
62	बराह	नालंदा	अस्पताल निर्माण हेतु	5.04	स्वास्थ्य विभाग
63	मटकौटा	प० चम्पारण	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.40	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0
64	पेनापुर	पटना	पथ निर्माण हेतु	0.27	पथनिर्माण विभाग
65	कासिलअर	अरवल	व्यवहार न्यायालय हेतु	9.04	विधि विभाग
66	बक्सर जिला	बक्सर	व्यवहार विस्तारीकरण हेतु	2.15	विधि विभाग

67	बक्सर जिला	बक्सर	परिवार न्यायालय हेतु	0.20	विधि विभाग
68	रहुई	नालंदा	औ0 प्र0 संस्थान हेतु	4.00	श्रम संसाधान विभाग
69	डिहरा	औरंगाबाद	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.725	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0
70	चिरैयाटांड़	अरवल	परिवहन कार्यालय हेतु	0.375	परिवहन विभाग
71	सिकन्दरपुर वार्ड नं0–2	मुजफ्फरपुर	रूडसेटी हेतु	1.00	ग्रामीण विकास विभाग
72	हरिपुर	प० चम्पारण	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.95	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0
73	गोविन्दवारा	पू० चम्पारण	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.50	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0
74	मुड़ा	सिवान	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.59	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0
75	सोहनीपट्टी	बक्सर	परिवहन सुविधाकेन्द्र हेतु	0.3213	परिवहन विभाग
76	पिपराही	मधुबनी	एस0 एस0 वी0 कैम्प हेतु	3.00	गृहमंत्रालय, भारत सरकार
77	नरहनियां	मधुबनी	एस0 एस0 वी0 कैम्प हेतु	1.04	गृहमंत्रालय, भारत सरकार
78	पूर्णिया पूर्व वार्ड सं0–12	पूर्णियां	गोदाम एवं नागरिक सुरक्षा कार्यालय हेतु	0.12	आपदा प्रबंधन विभाग
79	कुसियारगाँव	अररिया	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.50	बिहार स्टेंट पावर होल्डिंग कम्पनी लि0
80	घुरना	अररिया	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.20	बिहार स्टेंट पावर होल्डिंग कम्पनी लि0
81	चरैया	पूर्णियां	डिग्री महाविद्यालय हेतु	11.92	शिक्षा विभाग
82	कोझी	बांका	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.605	बिहार स्टेंट पावर होल्डिंग कम्पनी लि0
83	चमथा–बछवाड़ा	बेगूसराय	गंगा नदी के कटाव से विस्थापितों को बसाने हेतु।	3.99	133 परिवार
84	बिहटा अमहारा	पटना	मेंगा औद्योगिक पार्क हेतु	0.70	उद्योग विभाग
85	राको	खगड़िया	पर्यवेक्षण गृह बाल गृह हेतु	0.87	समाज कल्याण विभाग
86	रानीपुर	पटना	वृद्धाश्रम हेतु	1.46	समाज कल्याण विभाग
87	राजगीर	नालन्दा	अन्तर्राष्ट्रीय समागम केन्द्र हेतु	7.85	कला संस्कृति एवं युवा विभाग
88	वनकटवा	पूर्वी चम्पारण	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.50	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0

89	डुमरबाना	पूर्वी चम्पारण	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.50	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0
90	पिपराकोठी	पूर्वी चम्पारण	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.50	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0
91	दीघा दियारा	पटना	वाटर ट्रीटमेट प्लांट हेतु	24.96	नगर विकास एवं आवास विभाग
92	बिहटा	पटना	रेल साईडीग हेतु	0.50	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लि0
93	पथरोहा, राजगीर	नालन्दा	पैक्स गोदाम हेतु	0.20	सहकारिता विभाग
94	वीरपुर, सुरसंड	सीतामढ़ी	पौलिटेकनीक संस्थान हेतु	5.00	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
95	लूठहां, मोतीहारी	पूर्वी चम्पारण	उत्पाद कार्यालय, बैरक, हाजत एवं मालखाना हेतु	1.00	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
96	रामपुर आदि, भरगामा	अररिया	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.60	बिहार पावर डिस्ट्रब्यूसन कं0 लिमिटेड
97	सलेमपुर सौनी, कहलगाँव	भागलपुर	अनुमंडलीय उपकारा भवन हेतु	0.30	गृह कारा विभाग
98	कुर्साकांटा	अररिया	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.60	बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी
99	सिगराहाट, बिहारशरीफ	नालन्दा	कार्य प्रमंडल के भवन निर्माण हेतु	0.20	ग्रामीण कार्य विभाग
100	रामपुर, भगवानपुर	सिवान	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.50	बिहार पावरं डिस्ट्रब्यूसन कं0 लिमिटेड
101	संदलपुर, पटना सदर	पटना	बिहार ज्यूडिशियल एकेडमी हेतु	1.178	विधि विभाग
102	पडरौन, लौरिया	प0चम्पारण	नन्दनगढ़ पर्यटन हेतु	0.80	पर्यटन विभाग
103	मरीचा, सुपौल	सुपौल	रूडसट्टी हेतु	1.00	ग्रामीण विकास विभाग
104	सेमरा लेवदहाँ, पिपराही	प0चम्पारण	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.50	बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड
105	बेलबनवा, मोतीहारी सदर	पूर्वी चम्पारण	बेंडिग जोन हेतु	3.05	नगर विकास एवं आवास विभाग
106	बंधपा, अकोडीगोला	रोहतास	सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन के आवास हेतु	0.01	श्रीमती सैरून खातुन
107	कचहरिया, थरथरी	नालन्दा	अतिरिक्त स्वा0 केन्द्र हेतु	0.35	स्वास्थ्य विभाग
108	मीरपुर–आन्दर	सिवान	विद्युत उपकेन्द्र हेतु	0.72	बिहार पावर डिस्ट्रब्यूसन कंपनी लिमिटेड

109	रमनीकला, अमौर	पूर्णियां	विधुत उपकेन्द्र हेतु	0.52	बिहार पावर डिस्ट्रव्सन कंपनी लिमिटेड
110	पोखपुर, गिरियक	नालन्दा	थाना भवन हेतु	0.60	गृह विभाग
111	बेहटा, बेनीपट्टी	मधुबनी	व्यवाहार न्यायालय हेतु	1.48	विधि विभाग
112	नेउर, लोकही	मधुबनी	एस0एस0 बी0 कैम्प हेतु	1.66	गृह मंत्रालय, भारत सरकार
113	कोईया, ठाकुरगंज	किशनगंज	एस0एस0 बी0 कैम्प हेतु	4.00	गृह मंत्रालय, भारत सरकार
114	कोईया, ठाकुरगंज	किशनगंज	एस0एस0 बी0 कैम्प हेतु	1.00	गृह मंत्रालय, भारत सरकार
115	दरियापुर,पतैली, उजियारपुर	समस्तीपुर	पावर ग्रिड सब स्टेशन हेतु	20.00	बिहार स्टेट पावर ट्रसमिशन कंपनी लिमिटेड
116	सरेया, गोपालगंज	गोपालगंज	कर्पूरी ठाकूर छात्रावास हेतु	0.70	अति पिछड़ा कल्याण विभाग
117	बसंतपुर, अररिया	अररिया	जिला परिवहन कार्यालय भवन हेतु	0.32	परिवहन विभाग
118	चकोड़वा, नरपतगंज	अररिया	स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु	0.07	स्वास्थ्य विभाग
119	मोहमारी, दिघल बैंक	किशनगंज	एस0एस0 बी0 कैम्प हेतु	1.00	गृह मंत्रालय, भारत सरकार
120	सौराठ, रहिका	मधुबनी	मधुबनी चित्रकला संस्थान हेतु	6.50	कला संस्कृति एवं युवा विभाग
121	महुआरी, चौसा	बक्सर	पर्यवेक्षण गृह निर्माण हेतु	1.00	समाज कल्याण विभाग
122	यूसूफपुर, हाजीपुर	वैशाली	परिवाहन सुविधा केन्द्र हेतु	0.3458	परिवहन विभाग
123	इटाढ़ी, भभुआ	कैमूर	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु	3.50	श्रम संसाधान विभाग
124	गंडामन, मशरख	सारण	उच्च विद्यालय हेतु	1.12	शिक्षा विभाग
125	भेलागुड़ी, ठाकुरगंज	किशनगंज	एस0एस0 बी0 कैम्प हेतु	0.98	गृह मंत्रालय, भारत सरकार
126	टुन्डवा–उर्फ मुन्डवा	भागलपुर	पीरपैंती थर्मल पावर की स्थापना हेत	11.45	बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड
127	करूप	रोहतास	केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु	8.00	केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
128	धमदाहा	पूर्णियां	विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु	0.60	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

129	धीराचक	पटना	गृह निर्माण हेतु	11.86	बिहार वित्त सेवा गृह निर्माण सहयोग समिति लि0 पटना
130	शेखोपुरसराय, खुड़िया	शेखुपरा	बिहार ग्रिड कम्पनी लि0 को गैस इन्सुलेटड सब स्टेशन के निर्माण हेतु।	5.94 1/3	बिहार ग्रिड कम्पनी लि0
131	आलमगीरपुर, चंदौती	गया	हरिहर सुब्रहमणियम के निर्माण हेतु।	5.69	कला संस्कृति एवं युवा विभाग
132	हेमारा, खिजरसराय	गया	गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन निर्माण हेतु	6.00	बिहार ग्रिड कम्पनी लि0
133	पीरपैंती	भागलपुर	पीरपैंती थर्मल पावर की स्थापना हेतु	11.48	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड
			कुल–	**546.84**	

वित्तीय वर्ष, 2013–14 में अबतक 125 भूमि हस्तान्तरण/बन्दोबस्ती सम्बन्धी राज्यादेश विभागीय मुख्यालय स्तर से निर्गत किए गए, जिनमें 491 एकड़ 76 डिसमिल भूमि विभिन्न विभागों/उद्यमों एवं अन्य को हस्तान्तरित किए गए हैं। (As on 30.06.2014)

8 (b)- भू–अर्जन :–

वित्तीय वर्ष 2013–14 यथा दिनांक 01.04.2013 से 31.12.2013 तक विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेत अर्जित भूमि का विवरण।

क्र0	परियोजना का नाम	कुल रकवा (एकड़ में)
1	2	3
1	रेलवे परियोजना	109.01
2	काँटी थर्मल पावर स्टेशन, मुजफ्फरपुर	31.245
3	पीरपैती थर्मल पावर, भागलपुर	11.75
4	चौसा थर्मल पावर, बक्सर	14.72
5	कजरा थर्मल पावर, लखीसराय	36.35
6	एन0 पी0 जी0 सी0, औरगाबाद	219.167
7	बी0 आर0 बी0 सी0 एल0, औरगाबाद	126.53
8	पावर ग्रीड	61.00
9	पुल एवं उपगम पथ (गंगा सहित अन्य नदियों पर)	739.695
10	बागमती तटबंध	63.02
11	आई0 टी0 बी0 पी0	123.42
12	सम्पर्क सड़क	4.42

13	भारत–नेपाल सीमा पथ	91.25
14	कला एवं संस्कृति	59.2
15	बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप, वैशाली	72.23
16	लैंड बैंक (सुपौल एवं अररिया–जिला मुख्यालय हेतु)	187.97
17	अन्य परियोजना	89.3267
	कुल योग :–	**2040.3037**

8. (c) <u>वित्तीय वर्ष 2014–15 का भावी कार्यक्रमों की रूप–रेखा</u>

वित्तीय वर्ष–2014–15 में अधियाची विभाग/प्राधिकार से प्राप्त होने वाले अधियाचना के आधार पर विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु भूमि अर्जन के भावी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की विवरणी :–

1 जिला मुख्यालय/अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय स्तर पर लैंड बैंक योजना
2 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)
3 जोगबनी से बिराटनगंर भारत–नेपाल नई बड़ी रेल लाईन
4 जयनगर–बिजलपुरा–वर्दीवास भारत–नेपाल नई बड़ी रेल लाईन
5 अररिया–गलगलिया नई बड़ी रेल लाईन
6 दरभंगा–कुशेश्वर स्थान नई बड़ी रेल लाईन
7 गया–चतरा नई बड़ी रेल लाईन
8 भारत–नेपाल सीमा पथ

9. <u>वासगीत पर्चा</u> :–

सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के बीच गृह हेतु वासगीत पर्चा का वितरण किया जाता है। वर्ष 2007–08 में 15700 व्यक्तियों के बीच वासगीत पर्चा वितरित की गई है, जिसमें 800.06 एकड़ भूमि सन्निहित है। वर्ष 2008–09 में 14184 व्यक्तियों के बीच 613.43 एकड़ भूमि का पर्चा वितरित हुआ। वर्ष 2009–10 में 10399 व्यक्तियों के बीच 366.03 एकड़ भूमि का पर्चा वितरित हुआ। वर्ष 2010–11 में 15558 व्यक्तियों के बीच 532.51 एकड़ भूमि का पर्चा वितरित हुआ। वर्ष 2011–12 में 10292 व्यक्तियों के बीच 433.46 एकड़ भूमि वितरित की गई। वर्ष 2012–13 में 7577 व्यक्तियों के बीच 275.95 एकड़ भूमि वितरित की गई है। वर्ष 2013–14 में 21075 व्यक्तियों के बीच 684.77 एकड़ भूमि का पर्चा वितरित की गई। इस निमित्त लागू कानून के तहत पात्र व्यक्ति द्वारा आवेदन दिये जाने के साथ–साथ राजस्व कर्मियों के द्वारा सर्वेक्षण कराते हुए त्वरित कार्रवाई किये जाने हेतु कार्य योजना बनाई जा रही है।

वित्तीय वर्ष	कुल लाभान्वितों की संख्या	वितरित भूमि का एकबा (एकड़)
2007.08	15700	800.06
2008.09	14184	613.43
2009.10	10399	366.03
2010.11	15558	532.51
2011.12	10292	433.46
2012.13	7577	275.95
2013.14	21075	684.77

10. भू–हदबंदी अधिनियम के तहत प्राप्त अधिशेष भूमि का वितरण :–

भू–हदबंदी अधिनियम के तहत सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के बीच अधिशेष भूमि का वितरण किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2007–08 में कुल 750 एकड़ लक्ष्य के विरूद्ध 1825 लाभाविन्तों के बीच 655.72 एकड़ भूमि का वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2008–09 में कुल 155 लभान्वितों को बीच 64.09 एकड़ भूमि का वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2009–10 में कुल 98 लाभान्वितों के बीच 27.72 एकड़ भूमि का वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2010–11 में कुल 111 लभान्वितों के बीच 43.98 एकड़ भूमि का वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2011–12, वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 माह में प्रगति शून्य है।

(रकबा एकड़ में)

वर्ष 2007–08		वर्ष 2008–09		वर्ष 2009–10		वर्ष 2010–11		वर्ष 2011–12		वर्ष 2012–13	
भूमि का रकबा	लाभान्वितों की संख्या	भूमि का रकबा	लाभान्वितों की संख्या	भूमि का रकबा	लाभान्वितों की संख्या	भूमि का रकबा	लाभान्वितों की संख्या	भूमि का रकबा	लाभान्वितों की संख्या	भूमि का रकबा	लाभान्वितों की संख्या
655.72	1825	64.09	155	27.72	98	43.98	111	0.00	00	0.00	00

11. भू–दान :

राज्य अन्तर्गत भू–दान से प्राप्त भूमि का वितरण बिहार भू–दान यज्ञ कमिटी के माध्यम से किया जाता है। राज्य में भूदान से प्राप्त कुल भूमि 6,48,593.14 (छः लाख अड़तालीस हजार पाँच सौ तिरानवे दशमलव चौदह) एकड़ में से 345380.88 (तीन लाख पैंतालीस हजार तीन सौ अड़तीस दशमलव आठ आठ) एकड़ भूमि सम्पुष्ट की गयी है। अभी तक 256366.22 (दो लाख छप्पन हजार तीन सौ छियासठ दशमलव बाईस) एकड़ भूमि वितरित की जा चुकी है। वितरण के योग्य शेष बची हुई 6112.55 (छः हजार एक सौ बारह दशमलव पच्चपन) एकड़ भूमि के वितरण का कार्य कमिटी द्वारा किया जा रहा है। बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुदान उपलब्ध

कराया जाता है, जिससे भूदान भूमि के वितरण एवं इससे जुड़े अन्य कार्यों पर व्यय की प्रतिपूर्ति होती है। वर्ष 2013—14 में भूदान यज्ञ कमिटी को सहाय्य अनुदान मद में 1,43,78,,000 (एक करोड़ तैंतालीस लाख अठ्हत्तर हजार) रूपये का बजट उपबंध किया गया है। वर्ष 2014—15 में भूदान यज्ञ कमिटी के लिए सहाय्य अनुदान हेतु 1,43,78,000(एक करोड़ तैंतालीस लाख अठ्हत्तर हजार) रूपये मात्र का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

एकड़ में				
भूदान से प्राप्त भूमि	सम्पुष्ट भूमि	वितरण में अयोग्य	वितरित भूमि	अवितरित शेष भूमि
648593.14	345386.88	386114.37	256366.22	6112.55

12. दाखिल—खारिज :—

दाखिल—खारिज वादों के त्वरित निष्पादन हेतु सभी समाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया है कि प्रत्येक अंचल में प्रत्येक माह के द्वितीय तथा चतुर्थ मंगलवार को राज्य के सभी अंचलों में हल्का स्तर पर राजस्व शिविर आयोजित कर मामलों का त्वरित निष्पादन किया जाए। नामान्तरण की कार्रवाई परदर्शी प्रभावी एवं त्वरित बनाने के उद्देश्य से निबन्धन कार्यालयों से अंचल अधिकारीगण को एल0 एल0 आर0 की नोटिस के साथ निबन्धित दस्तावेज की प्रति भी प्राप्त कराने का आदेश दिया गया है, ताकि विहित प्रक्रियानुसार नोटिश देते हुए अंचलाधिकारी नामान्तरण की कार्रवाई अविलम्ब प्रारम्भ करें। नामान्तरण के पश्चात शुद्धि पत्र निर्गत किया जाने, जमाबन्दी कायम करते हुए मालगुजारी रसीद प्राप्त कर हल्का कर्मचारी को मांग पंजी में वांछित सुधार कराने का निर्देश दिया गया है। दाखिल—खारिज की वर्षवार उपलब्धि निम्न प्रकार है:—

वित्तीय वर्ष	निष्पादित वादों की संख्या
2008—09	974528
2009—10	891618
2010—11	642564
2011—12	754402
2012—13	1177066
2013—14	1711482

13. सैरात :—

वर्ष 2008—09 में कुल सैरातों की संख्या—6071 में से बन्दोवस्ती सैरातों की संख्या—4422 एवं राशि 605.15 लाख (छः करोड़ पाँच लाख पन्द्रह हजार) रूपया है। वर्ष 2009—10 में कुल सैरातों की संख्या—7928 में से बन्दोवस्ती सैरातों की संख्या—4406 एवं राशि 916.42 लाख (नौ करोड़ सोलह लाख बयालीस हजार) रूपया है। वर्ष 2010—11 में कुल सैरातों की संख्या—6927 में से बन्दोवस्त

सैरातों की संख्या–3368 एवं राशि 946.11 लाख (नौ करोड़ छयालीस लाख ग्यारह हजार) रूपये वर्ष–2011–12 में कुल सैरातों की सं0–6903 में से बनदोवस्त सैरातों की संख्या–3607 एवं राशि 102.33 लाख्ख (एक करोड दो लाख तेतीस हजार) है। वर्ष 2012–13 में कुल सैरातों की संख्या–6095 में से बन्दोवस्त सैरातों की सं0–2743 एवं राशि 109.33 लाख (एक करोड़ नौ लाख तैतीस हजार) रूपया है। वर्ष–2013–14 में कुल सैरातों की संख्या–5888 में से बन्दोवस्त सैरातों की संख्या 3935 एवं राशि 148.95 (एक करोड़ अड़तालिस लाख पंचानवे हजार) रूपये है।

14. भू–लगान :–

भू–लगान की वसूली न सिर्फ राजस्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वरन लागान रसीद भूमि संबंधी विवादों के निष्पादन, एवं सामाजिक शांति बनाम रखने में भी अहम भूमिका अदा करता है।

वर्ष 2008–09 में कुल माँग 100 करोड़ रूपये के विरूद्ध 45.37 करोड़ रूपये की वूली की गई जो लक्ष्य का 45.37 प्रतिशत है। वर्ष 2009–10 में कुल माँग 110 करोड़ के विरूद्ध 39.16 करोड़ रूपये की वसूली की गई जो लक्ष्य का 35.60 प्रतिशत है। वर्ष 2010–10 में कुल लक्ष्य 112 करोड़ के विरूद्ध 19.62 करोड़ की वसूली की गई जो लक्ष्य का 17.49 प्रतिशत है। वर्ष 2011–12 में कुल माँग 140 करोड़ के विरूद्ध 28.03 करोड़ की वसूली की गई जो लक्ष्य का 20.02 प्रतिशत है। वर्ष 2012–13 में कुल माँग 185 करोड़ के विरूद्ध 43.55 करोड़ की वसूली की गई जो लक्ष्य का 23.54 प्रतिशत है। वर्ष 2013–14 में कुल मांग 205 करोड़ के विरूद्ध 67.96 करोड़ की वसूली की गई जो लक्ष्य का 33.15 प्रतिशत है।

15. निलाम–पत्र वाद :–

वर्ष 2008–09 में कुल 106.77 करोड़ रूपये की वसूली की गई। वर्ष 2009–10 में कुल 69.53 करोड़ रूपये की वसूली की गई। वर्ष 2010–11 में कुल 49.65 करोड़ रूपये की वसूली की गई। वर्ष 2011–12 में कुल 55.89 करोड़ रूपये की वसूली की गई। वर्ष 2012–13 में कुल 100.81 करोड़ रूपये की वसूली की गई। वर्ष–2013–14 में कुल 188.77 करोड़ रूपये की वसूली की गई ।

16. बिहार राज्य मेला प्राधिकार के तत्वावधान में मेलों का आयोजन (2013–14) : वित्तीय वर्ष 2013–14 में बिहार राज्य मेला प्राधिकार में तत्वावधान में निम्नांकित मेलों के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु दिए गये आवंटन की स्थितिः–

क्रमांक	मेला का नाम एवं जिला	स्वीकृत राशि
1	पुनपुन अर्न्तराट्रीय खरमास पितृपक्ष मेला, पटना–2012–13	1946000
2	पुनपुन अर्न्तराट्रीय पितृपक्ष मेला, पटना–2012–13	832425
3	बाबा केवल स्थान मेला, समस्तीपुर 2011,2012 एवं 2013	1893990
4	श्रावणी मेला, लखीसराय–2012	800000
5	श्रृंगी श्रृषिधाम माधी पूर्णिमा एवं महाशिवरात्री मेला लखीसराय–2013	992000

6	बाबा इन्द्रदमनेश्वर महादेव मंदिर माधी पुर्णिमा एवं महाशिवरात्री मेला लखीसराय	1230000
7	श्री श्री 108 बाबा गणिराम अखाड़ा परिसर में आषाढ़ी पुर्णिमा मेला नालंदा–2012	7000
8	अशोक धाम कार्तिक पुर्धिमा मेला, लखीसराय–2012	615000
9	कार्तिक पूर्णिमा मेला, वैशाली–2012	1000000
10	श्रावणी मेला–बाँका–2012	325000
11	संहेश्वर स्थान महाशिवरात्री मेला–मधेपुरा–2012	1598102
12	बाबा हरिगिरिधाम माधी पुर्णिमा एवं महाशिव रात्री मेला, बेगूसराय–2013	1400000
13	राष्ट्रीय चौहरमल मेला, धोश्वरी, पटना	2000000
14	श्रावणी मेला, भागलपुर–2013	6000000
15	श्रावणी मेला, बांका–2013	3800000
16	श्रावणी मेला, मुंगेर–2013	2000000
17	श्रावणी मेला, बेगुसराय–2013	2825200
18	श्रावणी मेला, लखीसराय–2013	2000000
19	श्रावणी मेला, पूर्वी चम्पारण–2013	230000
20	बाबा गरीबनाथ श्रावणी मेला, मुजफ्फरपुर–2013	3345550
21	बाबा दुधनाथ श्रावणी मेला, मुजफुरपुर–2013	1811280
22	श्रावणी मेला, जमुई–2013	1000000
23	पहलेजा घाट श्रावणी मेला, 2013	200000
24	पुनपुन अन्र्तराष्ट्रीय पितृपक्ष मेला–2013	1000000
25	पृत्रपक्ष मेला गया–2013	4000000
26	सिमरिया मेला, बेगुसराय, 2003–04 एवं 2004–05	469536
27	सिमरिया मेला बेगुसराय–2013	1000000
28	सिमरिया मेला, बेगुसराय–2012	812875
29	कार्तिक पुर्णिमा मेला, बेगुसराय–2013	680000
30	बाबा हरिगिरिधाम माघी पुर्णिमा मेला, बेगूसराय–2014	715000
31	बाबा हरिगिरिधाम महाशिवरात्री मेला–बेगुसराय–2014	715000
32	देवी चैती छठ मेला, औरंगाबाद–2013	374185
33	देव कार्तिक छ.ठ मेला, औरगांबाद–2013	462470
34	देव कार्तिक छठ मेला, औरगाबाद–2012	36000
	कुल	**48116613**

17. भू–अभिलेखों का अद्यतनीकरण (विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम)

इस योजनान्तर्गत कैडस्ट्रल सर्वेक्षण द्वारा तैयार किए गए भू–अभिलेखों को अद्यतन करते हुए भूमि का पूर्ण सर्वेक्षण तथा खतियान का प्रकाशन तथा लगान निर्धारण करना मुख्य उद्देश्य है। लगान निर्धारण के फलस्वरूप सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होती है। यह एक जन कल्याणकारी योजना है, जिसमें रैयतों के हितो की रक्षा की जाती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति तथा भू–अभिलेखों के अद्यतनीकरण कार्य हेतु बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 अधिनियमित किया गया है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 आधुनिक तकनीक के उपयोग से अद्यतन सर्वे मानचित्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

- केन्द्र प्रायोजित योजना (नेशलन लैण्ड रिकार्डस मॉडराईजेशन प्रोग्राम – छस्त्त्डच) :–

18 डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार :–

आधुनिक तकनीक से तैयार किए गए री–सर्वे मानचित्र तथा खतियान के डाटा का प्रत्येक अंचल में संधारण तथा समय समय पर अद्यतीकरण करते हुए भू–धारियों को भू–अभिलेखों की आपूर्ति कराया जाना है।

भवन निर्माण कार्य हेतु राज्य योजना मद से 30.65 लाख रूपये प्रति अंचल तथा आधुनिक उपकरणों के क्रय हेतु भारत सरकार द्वारा 12.50 लाख रूपये प्रति अंचल की दर से राशि विमुक्त की जाती है। कुल स्वीकृति 23042.10 लाख रूपये की है।

भू–अभिलेखों का मुख्य स्त्रोत अंचल कार्यालय है। आधुनिक तकनीक से तैयार किए गए री–सर्वे मानचित्र तथा अद्यतन खतियान का उचित संधारण तथा समय समय पर अद्यतीकरण करते हुए भू–धारियों को इसकी आपूर्ति के कार्य हेतु आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता होगी। इन आधुनिक उपकरणों को प्रत्येक डाटा केन्द्र सह आधुनिक अभिलेखागार में स्थापित कराया जा रहा है। राज्य के सभी 534 अंचलों में अभिलेखागार भवन निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध करा दी गयी है। अभी तक 133 अंचलों में भवन निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा 75 अंचलों में आधुनिक उपकरण बेलट्रॉन द्वारा स्थापित किया जा चुका है।

19. सर्वे मानचित्रों का डिजिटाईजेशन :–

वर्षो पूर्व कागज पर तैयार किए गए राजस्व मानचित्रों को नष्ट होने से बचाने तथा खतियान के साथ प्दजमहतंजम करने के लिए सॉफ्ट कॉपी में मानचित्रों का संधारण किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम राज्य के 76597 कैडस्ट्रल शीट का डिजिटाईजेशन कार्य पूरा कर लिया गया है। बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग से राज्य के सभी जिलों के राजस्व मानचित्रों की ऑनलाईन आपूर्ति का कार्य प्रारंभ हो चुका है। नालंदा, पटना तथा भोजपुर सदर अंचल कार्यालय से संबंधित जिला के सभी अंचलों के राजस्व मानचित्रों की ऑनलाईन आपूर्ति का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। दिसम्बर, 2014 तक सभी जिलों के सदर अंचल कार्यालय से ऑनलाईन आपूर्ति का कार्य प्रारंभ करने का लक्ष्य है।

20. ** री–सर्वे :–**

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के आलोक में हवाई फोटोग्राफी एवं जमीनी सत्यापन की संकर प्रणाली (Hybrid Process) के माध्यम से री–सर्वे मानचित्र तैयार कराया जा रहा है। अद्यतन री–सर्वे मानचित्र के आधार पर बंदोबस्त कार्यालयों द्वारा अद्यतन खतियान तैयार किया जा रहा है। वर्त्तमान में 12 जिलों का डाटा हवाई फोटोग्राफी के द्वारा संकलित कर लिया गया है तथा स्थल पर सत्यापन के लिए अनुमति हेतु फरवरी, 2014 में रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है। बंदोबस्त कार्यालय, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया तथा लखीसराय जिला के कुल 508 राजस्व ग्रामों का री–सर्वे मानचित्र प्राप्त हुआ है, जिसमें से 432 राजस्व ग्रामों के री–सर्वे मानचित्रों का सत्यापन करते हुए 107 राजस्व ग्रामों में खानापुरी तथा 11 राजस्व ग्रामों में प्रारूप/अंतिम प्रकाशन की कार्रवाई पूरी कर ली गयी है।

21. **प्रशिक्षण कार्यक्रम :–**

चालू वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षण मद में 50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। अंचलाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षीत करने के लिए कार्य योजना बनायी जा रही है। इसके लिए प्रशिक्षण मॉडूल तैयार कर लिया गया है।

भू–अभिलेखों के अद्यतीकरण कार्य हेतु संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक/उपकरणों का प्रशिक्षण देते हुए क्षमता वृद्धि करना है।

आधुनिक उपकरणों के क्रय हेतु भारत सरकार द्वारा 196.07 लाख रूपये के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। भवन निर्माण का कार्य राज्ययोजना मद की राशि से किया गया है।

विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम में भू–अभिलेखों के अद्यतीकरण कार्य हेतु आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसके अंतर्गत भूमि की मापी में ई0टी0एस0/डी0जी0पी0एस0 तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व मानचित्रों में प्लौट विभाजन के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। अतएव यह आवश्यक है कि बंदोबस्त कार्यालय एवं अन्य राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों को व्यापक प्रशिक्षण देते हुए उनकी क्षमता वृद्धि की जाए ताकि भूमि प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावशाली ढ़ग से लागू किया जा सके। वर्त्तमान में प्राथमिकता के आधार पर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों/अंचलाधिकारियों/कानूनगो/अमीन को आधुनिक उपकरणों का प्रशिक्षण दिया गया है। राज्यस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना के भवन का निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया है।

इस प्रशिक्षण केन्द्र में भारत सरकार द्वारा विमुक्त शत प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान की राशि से आधुनिक उपकरण तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर स्थापित कराया जा रहा है।

22 **डाटा इंट्री/री–डाटा इंट्री/डाटा कनवर्जन :–**

राज्य के प्रत्येक भू–धारी के अद्यतन चालू खतियान का निर्माण एवं कम्प्यूटरीकरण करते हुए

विभागीय वेबसाईट पर डाटा का प्रकाशन तथा सुविधा केन्द्रों से रैयतों/किसानों को खतियान की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।

इस कार्य हेतु एन0आई0सी0, पटना द्वारा "भू-अभिलेख-2" नाम से सॉफ्टवेयर विकसित कर राज्य के सभी जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है। सॉफ्टवेयर खतियान के 14 कॉलम के प्रपत्र पर आधारित है। अभी तक दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर तथा रोहतास जिला का चालू खतियान विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित किया जा चुका है। शेष जिलों के लिए मार्च, 2015 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

भू-अभिलेखों की ऑनलाईन आपूर्ति तथा समय समय पर किए जाने वाले अद्यतीकरण कार्य के लिए जिला, अनुमंडल एवं अंचल स्तर के कार्यालयों में कम्प्यूटर हार्डवेयर स्थापित किया गया है।

नालंदा, सारण, भागलपुर, मुंगेर, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, सिवान, पूर्णियाँ, कटिहार तथा मोतिहारी जिला में मुख्यालय तथा अनुमंडल स्तर पर कम्प्यूटर हार्डवेयर बेलट्रॉन, पटना द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

भू-अभिलेखों का मुख्य स्रोत अंचल कार्यालय है। अतएव अंचल कार्यालय द्वारा अद्यतन किए गए भू-अभिलेख डाटा के ऑनलाईन उपयोग हेतु अनुमंडल एवं अंचलस्तरीय कार्यालयों के बीच अन्तःसम्बद्धीकरण (Interconnectivity) का लक्ष्य रखा गया है।

कुल 534 अंचल के अंतर्गत 528 डाटा इंट्री ऑपरेटर नियुक्त किए गए हैं। साथ ही 515 अंचलों में हार्डवेयर स्थापित किया गया है। इस निमित्त 495 अंचल के अंतर्गत नेटवर्किंग की सुविधा उपलब्ध है।

23 क्षेत्रीय स्थापना

(i) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के कुल 266 पदों की सीधी नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना द्वारा 266 अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है।

(ii) राजस्व विभागीय कार्यालय आदेश सं0-21 (4), दिनांक-11.01.2014 द्वारा अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के पदों पर कुल 242 अभ्यार्थियों का नियुक्ति पत्र निर्गत हुआ है।

(iii) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत राजस्व कर्मचारी संवर्ग के पद पर नियुक्ति हेतु अधियाचना विभागीय पत्रांक-92 (4), दिनांक-14.02.14 द्वारा 4353 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को भेजी गई है।

(iv) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत चकबंदी निदेशालय उप सम्वर्ग के अधीन

अमीन के पद पर 297 अभ्यार्थियों की नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को विभागीय पत्रांक–81 (4), दिनांक–06.02.14 द्वारा अधियाचना की गई है।

(v) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय उप सम्वर्ग के अधीन अमीन के पद पर कुल 35 अभ्याथियों की नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को विभागीय पत्रांक–30 (4), दिनांक–17.01.14 द्वारा अधियाचना की गई है।

(vi) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत अमीन के पद पर नियुक्ति हेतु 373 पदों के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को विभागीय पत्रांक–31 (4), दिनांक–17.01.14 द्वारा अधियाचना की गई है।

(vii) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत अमीन के पद पर पटना जिला में 16 पदों के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को विभागीय पत्रांक–537 (4), दिनांक–02.12.13 द्वारा अधियाचना दी गई है।

(viii) आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी।

24. <u>बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम</u> :–

(i) दाखिल–खारिज

दाखिल–खारिज वादों के त्वरित निष्पादन हेतु सभी समाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया है कि प्रत्येक अंचल में प्रत्येक माह के द्वितीय तथा चतुर्थ सोमवार को राज्य के सभी अंचलों में हल्का स्तर पर राजस्व शिविर आयोजन कर मामलों का त्वरित निष्पादन किया जाय। दाखिल–खारिज वादों की वर्षवार उपलब्धि निम्न प्रकार है :–

वित्तीय वर्ष	निष्पादित वादों की संख्या
2007–08	803973
2008–09	974528
2009–10	891616
2010–11	642564
2011–12	754402
2012–13	1177066
2013–14	1711482

दाखिल–खारिज करने की समय–सीमा

क्र0	सेवा	उप सेवा	निष्पादन की समय–सीमा
1	2	3	4
1	दाखिल–खारिज	शिविर न्यायालय में बिना आपत्ति के मामलों में	18 कार्य दिवस (आदेश पारित करने हेतु 15 कार्य दिवस एवं शुद्धि पत्र निर्गत करने के लिए 03 कार्य दिवस)
2	दाखिल–खारिज	शिविर न्यायालय में आपत्ति वाले मामलों में	63 कार्य दिवस (आदेश पारित करने हेतु 60 कार्य दिवस एवं शुद्धि पत्र निर्गत करने के लिए 03 कार्य दिवस)
3	दाखिल–खारिज	अंचल अधिकारी के नियमित अर्द्ध–न्यायिक न्यायायल में बिना आपत्ति के मामलों में	21 कार्य दिवस (आदेश पारित करने हेतु 18 कार्य दिवस एवं शुद्धि पत्र निर्गत करने के लिए 03 कार्य दिवस)
4	दाखिल–खारिज	अंचल अधिकारी के नियमित अर्द्ध–न्यायिक न्यायायल में–आपत्ति वाले मामलों में	63 कार्य दिवस (आदेश पारित करने हेतु 60 कार्य दिवस एवं शुद्धि पत्र निर्गत करने के लिए 03 कार्य दिवस)

(ii) भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र हेतु आवेदन के निष्पादन की समय–सीमा

क्र0	**सेवा का नाम**	**निष्पादन की समय–सीमा**
1	2	3
1	भू–स्वामीत्व प्रमाण पत्र	10 कार्य दिवस

(iii) बिहार लोक सेवाओं का अधिकार :–

बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के सफल कार्यान्वयन हेतु आकस्मिक व्यय के लिए राशि की आवश्यकता होगी। उक्त राशि से बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के कार्यान्वयन हेतु डिसप्ले बोर्ड का अधिष्ठापन/स्टेशनरी आदि पर व्यय/जेनरेटर के ईंधन पर व्यय/क्षेत्रीय कार्यालयों/जिला कार्यालयों पर व्यय किया जायेगा।

25. कृषि गणना :–

कृषि गणना केन्द्रीय प्रक्षेत्र की योजना है जिसके अन्तर्गत ऑपरेशनल होल्डिंग के विभिन्न आकार वर्गों में कृषि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं यथा भू–उपयोग, सिंचाई की स्थिति, फसल क्षेत्र आदि पर आँकड़े संकलित किये जाते हैं जो कृषि विकास कार्यक्रमों के निर्माण एवं उनकी प्रगति के मूल्यांकन के लिए उपयोगी है।

राज्य में कृषि गणना योजना 2010–11 का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के प्रथम चरण का कार्य यथा ऑपरेशनल होल्डिंग की संख्या एवं क्षेत्रफल से सम्बन्धित आँकड़ों के संकलन का कार्य पूरा हो चुका है। द्वितीय चरण के कार्य के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में 9108 चयनित ग्रामों में से 6092 ग्रामों की ऑपरेशनल होल्डिंग से संबंधित अनुसूची 'एच' भरा जा चुका है। शेष कार्य प्रगति में है।

केन्द्रीय प्रक्षेत्र की शत प्रतिशत योजना, कृषि गणना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल 58.00 लाख राशि के विरूद्ध 28.86 लाख राशि का व्यय हुआ है।

26. चकबन्दी

जोतों की चकबन्दी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्त्तमान में राज्य के 5 जिलों के निम्नलिखित कुल 39 अंचलों में सक्रिय रूप से कार्य जारी है –

भोजपुर	बक्सर	कैमूर	रोहतास	गोपालगंज
1. पीरो	1. डुमरांव	1. मोहनिय़ा	1. सासाराम	1. कटैया
2. संदेश	2. ब्रह्मपुर	2. भभूआ	2. डिहरी	
3. चरपोखरी	3. ईटाढ़ी	3. चांद	3. नासरीगंज	
4. बिहीया	4. सिमरी	4. भगवानपुर	4. काराकाट	
5. बड़हरा	5. नवानगर	5. दुगावर्त्ती	5. विक्रमगंज	
6. उद्वन्तनगर	6. बक्सर सदर	6. चैनपुर	6. दिनारा	
7. शाहपुर	7. राजपुर	7. रामगढ़	7. करगहर	
8. कोईलवर		8. कुदरा	8. शिवसागर	
9. सहार			9. चेनारी	
10. तरारी			10. नोखा	
11. जगदीशपुर			11. दावथ	
12. आरा सदर				

वर्ष, 2014—15 में 150 ग्रामों में चकबन्दी कार्य पूर्ण कर उन्हें चकबन्दी अधिनियम की धारा—26 (क) के अन्तर्गत अनाधिसूचित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अन्तर्गत विभिन्न सम्वर्गो के कुल 745 कर्मियों का नियोजन संविदा के आधार पर करने की कार्रवाई की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2013—14 में 90 ग्रमों में चकबंदी कार्य पूर्ण कर अधिनियम की धारा 26 (क) के अन्तर्गत अनाधिसूचित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2014—15 हेतु 1600 लाख रूपये का बजट उपबंध है।

27. महिला सशक्तीकरण :—

सामाजिक रूपरेखा की पारिवारिक कड़ी को सुदृढ़ करने हेतु यह आवश्यक हे कि अन्य सम्पत्तियों के साथ भू सम्पत्तियों के स्वामित्व एवं अधिकार में महिलाओं की अहम भूमिका हो। इसके लिए खासकर महादलित एवं उपेक्षित वर्ग के परिवारों को सरकारी भूमि बंदोवस्त करने के समय महिलाओं के नाम से पर्चा निर्गत करने की कार्रवाई आवश्यक है, जिसे अधिनियम तथा परिपत्रों के माध्यम से लागू करने की कार्रवाई की गई है।

Printed at : Galaxi Enterprises, S.B.I, Building , Patna - 6